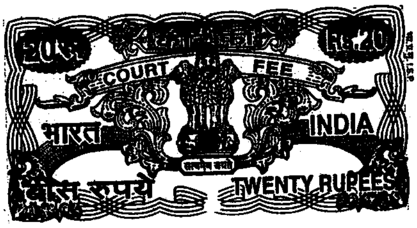

(93)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2016 निग-3310-II-16

राधेश्याम आ. श्री शंकरलाल आयु वयस्क
निवासी ग्राम श्यामपुर तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0।............................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

जानकी बाई पत्नि राधेश्याम पाटीदार आयु 55 वर्ष
निवासी श्यामपुर तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0।..रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 21/08/2015 प्रकरण क्रमांक 32/अ-12/14-15 जिसके माध्यम से दिनांक 21/08/2015 को सीमाकंन प्रतिवेदन, पचंनामा के रूप में आदेश पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. **प्रकरण क्रमांक 32/अ-12/14-15 तहसीलदार महोदय तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0 दिनांक 04/06/2015 सीमांकन प्रकरण ग्राम श्यामपुर तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0**
02. **प्रकरण क्रमांक 59/अ-70/14-15 जानकी बाई विरूद्ध राधेश्याम न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तहसील श्यामपुर जिला सीहोर**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता आदेश दिनांक 04/06/2015 से दुखी एंव प्रभावित होकर प्रकरण क्रमांक 32/अ-12/14-15 में संलग्न प्रतिवेदन एवं पंचनामे तथा कार्यवाही से प्रभावित एंव दुखी होकर निम्न निगरानी उचित समय सीमा में प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद नियत समय सीमा में प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट द्वारा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर विधि विरुद्ध तरीके दुषित आदेश पारित कराते हुये प्रकरण क्रमांक 32/अ-12/14-15 ... के संलग्न पंचनामे एवं प्रतिवेदन दिनांक 04/06/2015 को आधार बनाकर

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी– 3310–दो/16 जिला–सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
9–5–17 भोपाल	आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0 एस0 ठाकुर को समय समय पर आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं । आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	